बजट 2017-18 की मुख्य विशेषताएं

परिचय

- पिछले ढ़ाई वर्षों में प्रशासन विवेकाधीन, पक्षपात से प्रणालीगत और पारदर्शिता की ऑर बढ़ा है।
- मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया गया। सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति जुलाई, 2016 में 6 प्रतिशत के स्तर से घटकर दिसम्बर, 2016 में 3.4 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।
- अर्थव्यवस्था उच्च विकास पथ पर अग्रसर हुई है। भारत का चालू खाता घाटा पिछले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 2016-17 के पूर्वार्ध में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। वैश्विक एफडीआई अंतर्वाहों में 5 प्रतिशत की कमी के बावजूद एफडीआई 2015-16 के पूर्वार्ध की तुलना में 2016-17 पूर्वार्ध में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 20 जनवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 361 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया है।

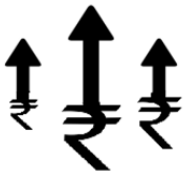

- काले धन के विरुद्ध अभियान चलाया गया।
- सरकारी निवेश पर कोई समझौता किए बिना सरकार राजकोषीय समेकन के पथ पर अग्रसर है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम झटकों और आईएमएफ के पूर्वानुमानों के विपरीत सुदृढ़ है, भारत 2017में सबसे तीव्र विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है।

वर्ष 2017-18 में चुनौतियां

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष के दौरान बड़े आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद काफी अनिश्चितता का माहौल है।
- अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा 2017 में नीतिगत दरें बढ़ाए जाने की मंशा जाहिर की गई है जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाऑ से पूंजी अंतर्वाह कम होने और बहिर्वाह बढ़ने की संभावना है।

- पण्य वस्तुऑ की कीमतों विशेषतया कच्चे तेल की कीमतों की अनिश्चितता से उभरती अर्थव्यवस्थाऑ की राजकोषीय स्थिति पर निहितार्थ हैं।
- संरक्षणवाद का दबाव बढ़ने के कारण वस्तुओं, सेवा तथा लोगों के वैश्विकरण से हटने के संकेत हैं।

पिछले वर्ष में बदलाव संबंधी सुधार

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित और इसके शुरूआत हेतु प्रगति।
- उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण।
- शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता का अधिनियमन; मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन; वित्तीय सब्सिडियों और लाभों के संवितरण के लिए *आधार* विधेयक का अधिनियमन।
- बजट 2017-18 में 3 मुख्य सुधार किए गए हैं। प्रथम, बजट की प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी करना ताकि मंत्रालय वित्त वर्ष के आरंभ से सभी कार्यकलाप प्रचालन करने में सक्षम हो सकें। द्वितीय, रेल बजट का आम बजट में विलय करना ताकि रेलवे को सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र बिंदु में लाया जा सके और तृतीय, व्यय के आयोजना और आयोजना-भिन्न वर्गीकरण को समाप्त करना ताकि क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए आवंटनों का सर्वांगीण दृष्टिकोण सुसाध्य हो सके।

विमुद्रीकरण

- कर-वंचना और समानांतर अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए साहसिक और निर्णायक उपाय।
- भ्रष्टाचार, काला धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद की फंडिंग को समाप्त करने का सरकार का संकल्प।
- आर्थिक गतिविधियों में कोई कमी आई है, तो यह अस्थायी है।
- दीर्घावधिक लाभों का सृजन जिनमें कम भ्रष्टाचार, अधिक डिजिटलीकरण, वित्तीय बचतों का अधिक प्रवाह और अर्थव्यवस्था का अधिकाधिक औपचारीकरण।
- पुनःमौद्रिकरण की गति में तेजी आई है और यह शीघ्र ही संतोषजनक स्तर पर पहुंच जाएगी।

- बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष नकदी उधार लागत कम होगी और क्रेडिट पहुंच में वृद्धि होगी।
- गरीबों के लिए आवास; किसानों को राहत; एमएसएमई को क्रेडिट सहायता; डिजिटल लेन-देनों को प्रोत्साहित करना; गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता; मुद्रा योजना के तहत दलितों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता; हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य सरोकारों के समाधान पर फोकस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसम्बर, 2016 को घोषणा की गई।

रोडमैप और प्राथमिकताएं

- वर्ष 2017-18 का एजेंडा है : "ट्रांसफार्म,एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया" टेक इंडिया
- टेक इंडिया का उद्देश्य इस प्रकार है :
  - शासन की गुणवत्ता और हमारी जनता के जीवन स्तर को बदलना।
  - समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतः युवकों और कमजोर तबकों में ऊर्जा का संचार करना और उन्हें उनकी क्षमता से परिचित कराना; और
  - देश में भ्रष्टाचार, काला धन और अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग की बुराइयों को समाप्त करना।
- इस व्यापक एजेंडे को चलाने की दस विशिष्ट थीमें :
  - **किसान :** 5 वर्षों में आय दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध;
  - **ग्रामीण आबादी** : रोजगार और बुनियादी अवसंरचना मुहैया कराना;
  - **युवा** : शिक्षा, कौशल और रोजगार के जरिए ऊर्जा का संचार करना;
  - **गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग** : सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और किफायती आवास की प्रणाली को मजबूत करना;

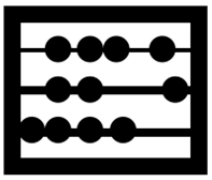

  - **अवसंरचना** : कारगरता, उत्पादकता और जीवन स्तर के लिए;
  - **वित्तीय क्षेत्र** : मजबूत संस्थाओं के द्वारा विकास और स्थिरता;
  - **डिजिटल अर्थव्यवस्था** : गति, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता हेतु;
  - **सार्वजनिक सेवा** : जनता की भागीदारी के जरिए कारगर शासन और कारगर सेवा सुपुर्दगी;
  - **विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन** : संसाधनों का इष्टतम नियोजन सुनिश्चित करना और राजकोषीय स्थिरता बनाए रखना; कर-प्रशासन : ईमानदारों का आदर करना।

किसान

- वर्ष 2017-18 में कृषि संबंधी क्रेडिट को 10 लाख करोड़ रुपए के रिकार्ड स्तर पर नियत किया गया है।
- किसानों को भी 31 दिसम्बर, 2016 को की गई 60 दिन की ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।
- छोटे किसानों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सभी 63,000 कार्यरत प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटियों के कम्प्यूटरीकरण और समेकन हेतु नाबार्ड को सहायता देगी।

- फसल बीमा योजना के तहत व्याप्ति का दायरा 2015-16 में फसल क्षेत्र के 30 प्रतिशत से 2017-18 में बढ़ाकर 40 प्रतिशत और 2018-19 में 50 प्रतिशत किया जाएगा। इसके लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधाना किया गया है।
- कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाएं और मृदा नमूना परीक्षण हेतु देश में सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना।
- 5,000 करोड़ रुपए की आंरभिक निधि के साथ प्रति बून्द अधिक फसल प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि की स्थापना।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की व्याप्ति का 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक राष्ट्रीय कृषि बाजार को 75 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी।

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए अनुसार, नाबार्ड में पहले से ही स्थापित दीर्घावधिक सिंचाई निधि का 40,000 करोड़ रुपए की इस निधि की कुल राशि से 100 प्रतिशत तक अभिवर्धन किया जाएगा।
- संविदा फार्मिंग के संबंध में एक माडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने हेतु राज्यों को परिचालित किया जाएगा।
- 2000 करोड़ रुपए की राशि के साथ नाबार्ड में डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी और यह राशि 3 वर्षों में बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए की जाएगी।

ग्रामीण आबादी

- केंद्रीय बजट, राज्यों के बजटों, स्व-सहायता समूहों आदि के लिए बैंक लिंकेज से ग्रामीण गरीबों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी।

- वर्ष 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना तथा 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्ति दिलाना।
- मनरेगा के अंतर्गत कृषि से जुड़े 5 लाख के लक्ष्य की तुलना में, मार्च, 2017तक खेती से जुड़े 10 लाख तालाबों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान, खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा।
- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से कम से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।
- 2017-18 में मनरेगा के लिए आवंटन अब तक का सर्वाधिक 48,000 करोड़ रुपए होगा।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़कों के निर्माण की गति 2016-17 में बढ़कर 133 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई जबकि 2011-14 के दौरान यह औसतन 73 किलोमीटर थी।
- सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित ब्लॉकों में 100 व्यक्तियों से अधिक की आबादी वाले निवासों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जोड़ने का कार्य आरंभ किया है। ऐसे सभी निवासों को 2019 तक कवर किए जाने की संभावना है और 2017-18 में राज्य के हिस्से सहित पीएमजीएसवाई के लिए आवंटन 27,000 करोड़ रुपए है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिए आवंटन को बजट अनुमान 2016-17 के 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपए कर दिया है जिसमें बेघर और कच्चे घरों में रहे रहे लोगों के लिए 2019 तक 1 करोड़ रुपए मकान पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग पर हम निरंतर अग्रसर हैं।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और ऋण समर्थन स्कीमों के लिए आवंटन तीन गुणा बढ़ा दिया गया है।
- ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज अक्तूबर 2014 की 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। खुले में शौच जाने से मुक्त गांवों को अब पाइप युक्त जलापूर्ति के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।

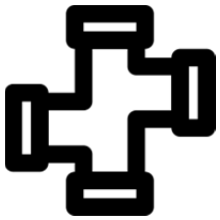

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के उपमिशन के हिस्से के रूप में, अगले चार वर्षों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28,000 से अधिक निवासों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में नए कौशल विकसित करने के लिए 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को राजगीरी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थानों में "मानव संसाधन विकास के लिए परिणामों" के लिए मानव संसाधन सुधार" नामक कार्यक्रम 2017-18 के दौरान प्रारंभ किया जाएगा।
- ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 187223 करोड़ रुपए है।

युवा वर्ग

- हमारे स्कूलों में अधिगम (लर्निंग) के वार्षिक परिणाम मापन प्रणाली प्रारंभ करना।

- सार्वभौमिक पहुंच, लिंग समानता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु नवाचार निधि शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 जिलों में प्रारंभ की जानी है।
- बेहतर प्रशासनिक और शैक्षिक (अकादमिक) स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के उच्चतर शिक्षा संस्थान।

- सूचना प्रौद्योगिकी प्रदान करते हुए स्वयम (एसडब्ल्यूएवाईएएम) प्लैटफार्म प्रारंभ किया जाना है जिसमें कम से कम 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल हैं। इससे छात्र सर्वोत्तम संकाय (फेकल्टी) द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में आभासी रूप से उपस्थित होने में सक्षम होंगे।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त और स्व-संपोषित प्रमुख परीक्षा संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना करना।

- देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। 100 भारत अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र देश भर में स्थापित किए जाएंगे।
- 4,000 करोड़ रुपए की लागत से आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम (संकल्प) शुरू किया जाएगा। संकल्प 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- औद्योगिक मूल्यवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण स्ट्राइव का अगला चरण भी 2017-18 में 2,200 करोड़ रुपए खर्च करके शुरू किया जाएगा।
- कपड़ा क्षेत्र के साथ ही चमड़ा और फुटवियर उद्योगों में रोजगार सृजन की योजना शुरू की जाएगी।
- पूर्व विश्व में पर्यटन और रोजगार बढ़ाने के लिए अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा।

गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग

- 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जांएगे। यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए एक स्टाप सामूहिक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा।
- मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत उस प्रत्येक गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपए अंतरित कर दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।
- सस्ते आवासों को अवसंरचना का दर्जा दिया जाएगा।

- गरीब परिवारों को प्राकृतिक आपदाओं से उनके घरों व घरेलू सामानों की हानि की भरपाई के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने के लिए 1 लाख रुपए के कवर हेतु 100 रुपए के वहनीय वार्षिक प्रीमियम पर प्रधानमंत्री आपदा बीमा योजना नामक स्कीम शुरु की जाएगी।
- राष्ट्रीय आवास बैंक 2017-18 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के व्यष्टि आवास ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करेगा।

- सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस, 2018 तक कोढ़, 2020 तक खसरा और 2025 तक तपेदिक समाप्त करने के लक्ष्य की कार्य योजना भी तैयार की है।

- आईएमआर 2014 में 39 से घटाकर 2019 तक 28 और एमएमआर 2011-13 में 167 से घटाकर 2018-2020 तक 100 करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है।
- द्वितीयक और तृतीयक स्तरों की स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों की समुचित उपलपब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 5,000 स्नातकोत्तर सीटें सृजित करना।
- श्रम अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 4 संहिताओं नामतः (i) पारिश्रमिक; (ii) औद्योगिक संबंध; (iii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण; और (iv) सुरक्षा और कार्य करने की दशाओं पर मौजूदा कानूनों को सरल, युक्तिसंगत बनाने और समामेलित करने के उद्देश्य से विधायी सुधार किए जाएंगे।

- युक्तिसंगत कीमतों पर औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सामान्य औषधियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए औषधि और सौंदर्य प्रसाधन (कॉस्मेटिक्स) नियमावली को संशोधित करने का प्रस्ताव है।
- अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन को बजट अनुमान 2016-17 की तुलना में 35 प्रतिशत बढ़ाया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन बढ़ाकर 28,155 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कार्यों के लिए 4,195 करोड़ रुपए कर दिया है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड शुरू किए जाएंगे जिनमें उनके स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरे निहित होंगे।

अवसंरचना

- रेल, सड़कें, पोत परिवहन सहित समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए, 2017-18 में 2,41,387 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- 2017-18 के लिए, रेलवे के कुल पूंजीगत और विकास व्यय को 1,31,000 करोड़ रुपए पर स्थिर रखा गया है। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त 55,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।
- यात्रियों की संरक्षा के लिए, 5 वर्ष की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सृजित किया जाएगा।
- ब्रॉड गेज लाइनों पर मानवरहित लेवल क्रॉसिंगों को 2020 तक समाप्त कर दिया जाएगा।
- अगले 3 वर्षों में, थ्रुपुट में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसे विनिर्दिष्ट गलियारों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के माध्यम से किया जाएगा।

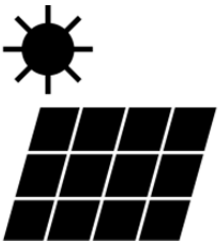

- 2017-18 में 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन शुरू होगी। स्टेशन विकास के लिए कम से कम 25 स्टेशन दिए जाने की संभावना है।
- 500 स्टेशनों को लिफ्ट और एस्कालेटर देकर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाएगा।
- मध्यावधि में लगभग 7,000 स्टेशनों को सौर ऊर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- एसएमएस आधारित क्लीन माई कोच सेवा शुरू की गई है।
- कोचमित्र सभी कोच संबंधी शिकायतों और आवश्यकताओं को दर्ज करने के लिए एकल विंडो इंटरफेस शुरू किया जाएगा।
- 2019 तक, भारतीय रेल के सभी कोचों में बायो शौचालय लगाया जाएगा। लागत, सेवा की गुणवत्ता और परिवहन के अन्य रूपों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए रेलवे का प्रशुल्क निर्धारित किया जाएगा।

- कार्यान्वयन के नवपरिवर्तनकारी मॉडलों और वित्तपोषण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मानकीकरण एवं भारतीयकरण पर विशेष ध्यान देते हुए नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी।
- मौजूदा कानूनों को यौक्तिक बनाकर नया मेट्रो रेल अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा। इससे निर्माण और प्रचालन में अधिकाधिक भागीदारी और निवेश सुसाध्य होगा।
- सड़क सेक्टर में, राजमार्गों के लिए बजट आवंटन 2016-17 में 57,976 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2017-18 में 64,900 करोड़ रुपए किया गया।
- तटीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए निर्माण और विकास हेतु 2,000 कि. मी. लम्बी तटीय कनेक्टिविटी सड़कों को चुना गया है।

- पीएमजीएसवाई सहित सड़कों की कुल लंबाई 2014-15 से मौजूदा वर्ष तक 1,40,000 किलोमीटर है, जो पिछले तीन वर्षों की तुलना में काफी अधिक है।
- 2 स्तरीय शहरों में चुनिंदा हवाई अड्डों को सरकारी निजी भागीदारी में प्रचालन और रख-रखाव के लिए लिया जाएगा।
- भारत नेट के अंतर्गत 2017-18 के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर पर हाई स्पीड ब्राड बैंड कनेक्टिविटी 1,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध होगी। डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेलीमीमेडीसिन, शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए डिजीगांव पहल शुरू की जाएगी।

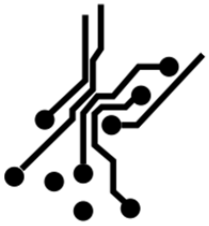

- और दो स्थानों अर्थात ऑडिशा में चंडीखोले और राजस्थान के बीकानेर में स्ट्रेटेजिक कच्चा तेल भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें, 15.33 एमएमटी की स्ट्रेटेजिक भंडार क्षमता होगी।
- सौर पार्क विकास के दूसरे चरण पर अतिरिक्त 20,000 एमएमटी के लिए कार्य किया जाएगा।

- भारत को इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इको-पद्धति के सृजन हेतु एम-सिप्स और ईडीएफ जैसी प्रोत्साहन स्कीम में 2017-18 में 745 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- निर्यात अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई पुनर्संरचित केंद्रीय स्कीम नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम 2017-18 में शुरू की जाएगी।

वित्तीय सेक्टर

- 2017-18 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड समाप्त किया जाएगा और एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाने पर विचार किया जा रहा है।

- पण्य व्यापार के लिए कृषि क्षेत्र में हाजिर बाजार और व्युत्पन्न बाजार को एकीकृत करने हेतु एक प्रचालनात्मक और कानूनी ढांचा बनाने को प्रोत्साहित करने और अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। ई-नाम ढांचे का अभिन्न अंग होगा।
- अवैध जमा स्कीम के संकट को कम करने के लिए विधेयक लाया जाएगा। वित्तीय फर्मों के संकल्प से संबंधित विधेयक संसद के वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह हमारी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और लचीलोपन में योगदान करेगा।
- अवसंरचना से संबंधित निर्माण संविदाओं, पीपीपी और सार्वजनिक उपयोगिता के संविदाओं विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु तंत्र मध्यस्थता और संराधन अधिनियम, 1996 में संशोधन करने के लिए शुरू किया जाएगा।

- हमारे वित्तीय सेक्टर के लिए कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल बनाया जाएगा।
- स्टॉक एक्सचेंजों में सीपीएसई का समयबद्ध सूचीयन सुनिश्चित करने के लिए संशोधित तंत्र और प्रक्रिया लाई जाएगी। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और कोंकॉर जैसे रेलवे के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे।
- एक समेकित सरकारी क्षेत्र 'ऑयल मेजर' के गठन का प्रस्ताव है, जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निजी क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों के निष्पादन में तालमेल स्थापित करेगा।
- 2017-18 में विविध सीपीएसई स्टॉक और अन्य सरकारी होल्डिंग से युक्त एक नए ईटीएफ की शुरुआत करना।

- 'इंद्रधनुष' रोडमैप के अनुरूप, 2017-18 में बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य नियत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

डिजीटल अर्थव्यवस्था

- अभी तक 125 लाख व्यक्तियों ने भीम एप को अपना लिया है। सरकार भीम की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं शुरू करेगी; ये हैं व्यष्टियों के लिए रेफरल बोनस योजना और व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना।
- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली का व्यापारी संस्करण आधार पे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।
- यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कॉर्डों के माध्यम से 2017-18 के लिए 2500 करोड़ के डिजीटल लेनदेन के लक्ष्य को पूरा करने का मिशन शुरू करना।
- निर्धारित सीमा से अधिक डिजीटल साधनों के जरिए सभी सरकारी प्राप्तियों को अधिदेशित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

- बैंकों ने मार्च 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए पीओएस टर्मिनलों को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। उन्हें सितंबर 2017 तक 20 लाख आधार आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण हेतु मौजूदा बोर्ड के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक में भुगतान विनियामक बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक सेवा

- सरकारी ई-बाजार स्थल अब वस्तु एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है।
- मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए अग्रणी कार्यालयों के रूप में प्रयोग में लाना।

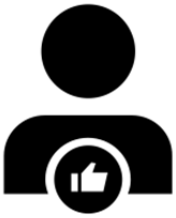

- एक केंद्रीकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है जिसके माध्यम से हमारे सैनिक एवं अधिकारी यात्रा टिकटों को ऑनलाइन बुक करा सकेंगे।
- रक्षापेंशन भोगियों के लिए वेब आधारित इंटरेक्टिव पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- न्यायाधिकरणों की संख्या को युक्तिसंगत बनाना तथा जहां उपयुक्त हो न्यायाधिकरणों का आपस में विलय करना।
- चंपारण और खोर्दा क्रांति दोनों की याद में उचित रूप में समारोहों का आयोजन करना।

विवेक पूर्ण राजकोषीय प्रबंधन

- पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय हेतु आवंटन में 25.4 प्रतिशत की वृद्धि करना।
- राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4.11 लाख करोड़ रुपए के संसाधन अंतरित किए जाएंगे जबकि 2016-17 के बजट अनुमान में 3.60 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए गए थे।
- पहली बार अन्य बजट प्रपत्रों के साथ सभी मंत्रालयों और विभागों को कवर करते हुए एक समेकित परिणाम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।
- एफआरबीएम समिति ने आगामी तीन वर्षों के लिए 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की सिफारिश की है। संपोषणीय ऋण लक्ष्य और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा सरकार आगामी वर्ष में 3 प्रतिशत आंकड़े को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- 2017-18 में सरकार की निवल बाजार उधार 3.48 लाख करोड़ रुपए तक निर्धारित की गई है जो पिछले वर्ष के 4.25 लाख करोड़ रुपए की तुलना में काफी कम है।
- बजट अनुमान 2016-17 में 2.3 प्रतिशत का राजस्व घाटा हुआ था जो घटाकर संशोधित अनुमान में 2.1 प्रतिशत कर दिया गया है। अगले वर्ष के लिए राजस्व घाटा 1.9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जबकि एफआरबीएम अधिनियम के तहत 2 प्रतिशत राजस्व घाटे का लक्ष्य अधिदेशित किया गया था।

वहनीय मूल्य पर आवास निर्माण तथा रियल सेक्टर को बढ़ावा देना

- 8 नवम्बर और 30 दिसम्बर, 2016 के बीच लगभग 1.09 करोड़ खातों में 2 लाख रुपए से 80 लाख रुपए के बीच राशि जमा की गई तथा औसत जमा आमाप 5.03 लाख रुपए रही। 1.48 लाख खातों में 80 लाख रुपए से अधिक राशि जमा की गई तथा औसत जमा आमाप 3.31 करोड़ रुपए थी।
- वहनीय मूल्यों पर आवास निर्माण के प्रोमोटरों के लिए लाभ संबद्ध आयकर छूट की योजना के तहत 30 और 60 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के बजाय कारपेट क्षेत्र का परिकलन किया जाएगा।

- 30 वर्ग मीटर की सीमा केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी जबकि मेट्रो शहरों के परिधीय क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों में 60 वर्गमीटर की सीमा लागू होगी।

- जिन बिल्डरों के लिए निर्मित भवन व्यापार में लगी पूंजी (स्टॉक-इन-ट्रेड) के समान है उनके मामले में जिस वर्ष समापन प्रमाणपत्र प्राप्त होता है उस वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष पश्चात ही काल्पनिक किराया आय पर कर लागू होगा।
- अचल संपत्ति से लाभ पर विचार करते हुए धारण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, निर्देशन हेतु आधार वर्ष अचल संपत्ति सहित सभी श्रेणियों की परिसंपत्तियों के लिए 1.4.1981 से बदलकर 1.4.2001 किए जाने का प्रस्ताव है।

- संपत्ति को विकसित करने के लिए हस्ताक्षरित संयुक्त विकास करार के लिए पूंजी लाभ कर का भुगतान करने का दायित्व प्रति लाभ प्राप्त होने वाले वर्ष में उत्पन्न होगा।
- दिनांक 2.6.2014 अर्थात वह तारीख जिस दिन आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया, को भूमि का स्वामित्वाधिकार धारित करने वाले व्यक्ति, जिसकी भूमि सरकारी योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के राजधानी शहर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है उसे पूंजी लाभ कर में छूट देने का प्रस्ताव।

विकास की गति को तीव्र बनाने के उपाय

- विदेशी वाणिज्यिक उधार या बांडों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निकायों द्वारा अर्जित ब्याज पर 5 प्रतिशत प्रभारित रियायती विदहोल्डिंग दर को 30.6.2020 तक विस्तार दिया गया है। यह लाभ के मूल्यवर्ग (मसाला) बांडों के लिए भी लागू किए जाने का प्रस्ताव है।
- प्रारंभिक (स्टार्ट-अप्स) के संबंध में हानियों को आने बढ़ाने के उद्देश्य से, मतदान के अधिकारों के 51 प्रतिशत की निरंतर धारिता की शर्त में इस शर्त के अध्यधीन राहत दी जाएगी कि मूल प्रवर्तक/प्रवर्तकों की धारिता बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रारंभकों के लाभ (कटौती संबद्ध) छूट 5 वर्षों में से 3 वर्ष के स्थान पर 7 वर्षों में से 3 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट वर्तमान में 10 वर्षों के स्थानपर 15 वर्ष की अवधि तक आगे बढ़ाने की अनुमति है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कंपनियों को और सशक्त बनाने के लिए, 50 करोड़ रुपए तक के वार्षिक पण्यावर्त वाली कंपनियों के लिए आय कर घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

- बैंकों को गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों हेतु अनुज्ञेय प्रावधान को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत करना सभी गैर-अनुसूचित बैंकों के एनपीए खातों के संबंध में प्रोद्भूत आधार के बजाय वास्तविक प्राप्ति पर प्राप्त ब्याज पर अनुसूचित बैंकों के समान ही कर लगाया जाना।
- एलएनजी पर बुनियादी सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

- छोटे और मध्यम करदाताओं, जिनका मौजूदा पण्यावर्त 2 करोड़ रुपए तक है, इनकी अनुमानित आय के रूप में गणना किए जाने वाले उनके 8% पण्यावर्त को नकदी-भिन्न साधनों द्वारा पण्यावर्त के संबंध में घटाकर 6% कर दिया गया है।
- 3 लाख रुपए से अधिक के किसी भी का लेनदेन नकदी में करने की अनुमति नहीं होगी।
- एमपीऑएस के लिए मिनिएचराइज्ड पीऑएस कार्ड रीडर, माइक्रो एटीएम स्टेंडर्ड वर्जन 1.5.1, फिंगर प्रिंट रीडर/स्कैनर और आईरिस स्कैनरतथा उनके कलपुर्जे और इस प्रकार के उपकरणों के विनिर्माण हेतु कलपुर्जों को बीसीडी/उत्पाद शुल्क/सीवी शुल्क और एसएडी से छूट।

चुनावी निधिपोषण में पारदर्शिता

- भारत में राजनीतिक निधिपोषण प्रणाली को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है।
- एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नकद चंदे के रूप में अधिकतम 2000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकती है।
- राजनीतिक पार्टियां अपने दाताओं से चैक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करना कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में किसी योजना के अनुसार चुनावी बांड जारी किए जा सकें।
- प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को आय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
- राजनीतिक पार्टियों को आय कर के भुगतान से मौजूदा छूट केवल इन शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन ही मिलेगी।

ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस

- घरेलू अंतरण कीमत निर्धारण के कार्य क्षेत्र को सीमित करना कि पार्टी लेनदेन से संबंधित उद्यमियों में से केवल एक उद्यमी ही विनिर्दिष्ट लाभ संबंधी कटौती प्राप्त कर सकता है।

- व्यावसायिक उद्यमियों की लेखापरीक्षा के लिए प्रारंभिक सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना जो अनुमानित आय का विकल्प चुनते हैं। इसी प्रकार, व्यष्टियों और हिंदु अविभाजित परिवारों के लिए लेखों के रखरखाव की प्रारंभिक सीमा 10 लाख टर्नओवर से बढ़ाकर 25 लाख रुपए अथवा 1.2 लाख रुपए आय से 2.5 लाख रुपए तक बढ़ाना।
- श्रेणी 1 और 2 के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अप्रत्यक्ष अंतरण उपबंध से छूट देना। भारत में कर प्रभाव निवेश के शोधन या बिक्री के परिणामस्वरूप या इससे उत्पन्न परंतु भारत से बाहर शेयरों के शोधन या ब्याज के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरण प्रावधान लागू नहीं होंगे।

- व्यष्टि बीमा एजेंटों को देय कमीशन में टीडीएस की आवश्यकता से छूट बशर्ते वे स्व-घोषणा करें कि उनकी आय कर योग्य सीमा से कम है।
- 50 लाख रुपए प्रति वर्ष आय वाले व्यवसायियों के लिए अनुमानित कराधान स्कीम के अंतर्गत अग्रिम कर का चार किस्तों के स्थान पर एक किस्त में भुगतान किया जा सकता है।
- संशोधित कर विवरणी के लिए समय सीमा, विवरणी फाइल करने की समयावधि के समान कम करके 12 माह की जा रही है। साथ ही आकलन जांच के पूरा होने की समय सीमा निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 21 माह से कम करके 18 माह और निर्धारण वर्ष 2019-20 एवं उससे आगे और कम करके 12 माह किया जा रहा है।

व्यक्तिगत आय-कर

- 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यष्टि निर्धारितियों के लिए काराधान की मौजूदा दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

- जिन व्यष्टियों की वार्षिक कर योग्य आय 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उन पर देय कर का 10 प्रतिशत अधिभार।
- व्यावसायिक आय से इतर 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए आय कर विवरणी के रूप में एक पृष्ठ का सरल फार्म।
- भारत के सभी नागरिकों से 5 प्रतिशत कर की मामूली अदायगी करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने की उनसे अपील, यदि उनकी आय छूटों, आदि के लिए 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के न्यूनतम स्लैब के अंतर्गत आती हों।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

- वस्तु एवं सेवाकर परिषद ने आयोजित 9 बैठकों के आधार पर आम राय से लगभग सभी मुद्दों पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है।
- जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तैयार करने का कार्य भी अनुसूची में है।
- जीएसटी हेतु व्यापार और उद्योग के लिए 1 अप्रैल, 2017 से गहन संपर्क प्रयास शुरू किए जाएंगे ताकि उन्हें नई कराधान प्रणाली से अवगत कराया जा सके।

रैपिड (राजस्व, जबावदेही, ईमानदारी, सूचना तथा डिजिटाइजेशन)

- आने वाले वर्ष ई-निर्धारण हेतु अधिकतम प्रयास करना।
- कमीशन और विलोपन के विशिष्ट कार्य के लिए कर विभाग के अधिकारियों की और अधिक जबावदेही प्रवर्तित करना।